छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

डी.के.एस.भवन(पुराना मंत्रालय) के समीप,
रायपुर 492001
दूरभाषः (कार्यालय) 0771–2236235, 2236830 फैक्स–0771–2221151 ई–मेल cgec.cg@nic.in

क्रमांक–रानिआ/कम्प्यूटर/2017/1350

रायपुर, दिनांक : 13/08/2018

:: विज्ञापन ::

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय रायपुर के सहायक प्रोग्रामर (कम्प्यूटर) के रिक्त 01 पद की पूर्ति संविदा आधार पर किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर के वेबसाइट **cgvyapam.choice.gov.in** पर आमंत्रित किये जाते हैं।

उपरोक्त परीक्षा आयोजन हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार है –

1.	परीक्षा की तिथि	–	**07 अक्टूबर 2018 (रविवार)**
2.	परीक्षा का समय :	–	**पूर्वान्ह 10:00 बजे से 01:15 बजे तक**
3.	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि	–	20.08.2018 (सोमवार)
4.	ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि	–	11.09.2018 (मंगलवार), रात्रि 11:59 बजे तक
5.	व्यापम की वेबसाईट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि	–	01.10.2018 (सोमवार)
6.	परीक्षा केन्द्र	–	**रायपुर**

रिक्त पद का विवरण निम्नानुसार है :–

क.	पदनाम	वेतन	कुल रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित	अ.ज.जा.	अनु. जाति	अ.पि.वर्ग
1	सहायक प्रोग्रामर (कम्प्यूटर) – संविदा	रु. 24765/– (एकमुश्त)	01	01	–	–	–

रिक्त पद हेतु श्रेणी एवं वर्गवार आरक्षण की स्थिति :– केवल 01 पद स्वीकृत होने से आरक्षण लागू नहीं होता है।

शैक्षणिक अर्हताएं :–

स. क्रं.	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता
1	*2*	*3*
1.	सहायक प्रोग्रामर (कम्प्यूटर) – संविदा	प्रथम श्रेणी में बी.ई./बी.टेक./बी.एस.सी. (इंजीनियरिंग) या स्नातक कम से कम कुल 60 प्रतिशत अंक अथवा समतुल्य श्रेणी **अथवा** एम.सी.ए./एम.सी.एम./सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर, भौतिक शास्त्र/गणित/सांख्यिकीय/ऑपरेशन रिसर्च/अर्थशास्त्र/कम्प्यूटर साइंस में प्रथम श्रेणी में एम.एस.सी./एम.ए. या स्नातक में कम से कम कुल 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी **अथवा** बी.सी.ए./बी.सी.एम./सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक, भौतिक शास्त्र/गणित/सांख्यिकीय/ऑपरेशन रिसर्च/अर्थशास्त्र/बी.एस.सी./बी.ए. कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर साइंस में कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या कम से कम कुल 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी

यह नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर के रिट पिटिशन क्रं. (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में माननीय न्यायालय पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होंगे।

नियम एवं शर्तें :–

1. उक्त तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, सेवा (भरती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2004 के अंतर्गत की जायेंगी।
2. दिनांक 01.01.2018 की स्थिति में आवेदित पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम नही होनी चाहिए एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रं.–एफ 3–2/2015/1–3, दिनांक–23.01.2017 अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा कैलेण्डर वर्ष 2018 के लिए 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व., महिला, विधवा, परित्यक्ता आदि को आयु सीमा में अतिरिक्त छूट नियमानुसार प्राप्त होगी।
3. आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है।
4. चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
5. आवश्यकतानुसार विज्ञापित पदों की संख्या कम अथवा अधिक की जा सकती है।
6. महिलाओं को नियमानुसार हारिजान्टल आरक्षण दिया जावेगा। किसी कारणवश महिला अभ्यर्थी का चयन न होने पर यदि पद रिक्त रह जाता है तो ऐसे पद अग्रणीत नहीं किये जायेंगे। वरन उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवार द्वारा भरे जा सकेंगे जिस प्रवर्ग के लिये आरक्षित है।
7. भूतपूर्व सैनिकों एवं विकलांगों को नियमानुसार आरक्षण प्रदान होगा।
8. उपरोक्त पदों पर चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. आवेदन करने की तिथि को आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।

10. आवेदन भरने के संबंध में आवश्यक सावधानी बरते। बाद में अभ्यर्थी के द्वारा जन्म तिथि, श्रेणी, वर्ग इत्यादि में परिवर्तन सम्बंधी आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

11. आवेदक को पद के लिये निर्धारित की गई शैक्षणिक योग्यता एवं शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक है। आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर परीक्षा/चयन के किसी भी स्तर पर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी।

12. संबंधित पद के लिये वांछित शैक्षणिक आर्हता संबंधी मूल प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ के निवासी होने का प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रमाण पत्र चयन के समय विभाग के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. **व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी करने तक सीमित रहेगा। मेरिट के आधार पर चयन/नियुक्ति की प्रकिया विभाग द्वारा की जायेगी।**

चयन प्रक्रिया :–

विज्ञापित पदों हेतु आवेदित उम्मीदवारों की व्यापमं द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी, जिसमें आब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जायेंगें। निगेटिव मार्किंग के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा। परीक्षा उपरांत लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जावेगी तथा अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन में विभाग के दिए गए प्राथमिकता क्रम के आधार पर व्यापम द्वारा विभाग आबंटित किया जावेगा। अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्रों की जांच पश्चात् चयन/नियुक्ति की कार्यवाही विभाग द्वारा की जावेगी।

परीक्षा पाठ्यक्रम तथा परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की विधि, परीक्षा शुल्क भुगतान की विधि, परीक्षा संचालन संबंधी निर्देश व्यापमं की वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर देखा जा सकता है।

सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
रायपुर